



रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट

dl; kly;] xly[kij vks/kfxd fodkl i kf/dj.।  
/ DVj&7] xhMk] xly[kij&273212  
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक [ ] /सम्पत्ति/नौ- /शेड सं० 2 से० 13 / 2024-25 /दिनांक

Jh rksQd vgen i# Jh ek0 ekchu  
fuokl h&xte&fuekok  
i k V&ehjxat  
f tyk&l r dchj uxjA

आवंटन पत्र सं० 31 दिनांक 31/12/2001 के माध्यम से गीडा की शेड योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में  
आवंटित शेड संख्या 2 से० 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित  
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/01/2024 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रु०	1969.00
2. ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रु०	13422.00
3. भूमि प्रीमियम			रु०	2718.00

योग रु०	18109.00
---------	----------

इसके अतिरिक्त 01/07/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रु०	270.00
2. ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रु०	135.00
3. भूमि प्रीमियम					रु०	0.00

योग रु०	135.00
---------	--------

egk; kx : 0	18,244.00
-------------	-----------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/01/2024 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/07/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000344 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)  
गीडा गोरखपुर।



dk: ky:] xky [ki j vks/ kfxd fodkl i kf/kdj. 1  
/ DVj&7] xhMk] xky [ki j&273212

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक [ ] / सम्पत्ति / नौ- / शेड सं० 10 से० 13 / 2024-25 / दिनांक

Jh f'koj{kk fo'odekz i# Jh l q'kkjh i d kn fo'odekz  
xte&jke y{lu/  
ikt V&y{ehij/  
#nij&nofj; kA

आवंटन पत्र सं० 36 दिनांक 26/02/2003 के माध्यम से गीडा की शेड योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में  
आवंटित शेड संख्या 10 से० 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित  
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/01/2024 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रु०	42201.00
2. ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रु०	292669.00
3. भूमि प्रीमियम			रु०	111450.00

योग रु० 446320.00

इसके अतिरिक्त 01/07/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रु०	6672.00
2. ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रु०	5542.00
3. भूमि प्रीमियम					रु०	0.00

योग रु० 5542.00

ega: kx : l 451,862.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/01/2024 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/07/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000344 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है  
नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा गोरखपुर।



रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट

dk; ky;] xky[kij vks/kfxd fodkl i kf/dj.  
/ DVj&7] xhMk] xky[kij&273212  
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक [ ] /सम्पत्ति/नौ- /शेड सं० A-2/7 से० 15 / 2024-25 /दिनांक

Jh 'kf'k HhMk.k JhokLro i# Lo0 dfi ynd JhokLro  
142&, p0 vkbD t10&'kkl=higje dkykukh/  
i k V&xky[kukFk  
xky[kijA

आवंटन पत्र सं० 47 दिनांक 15/02/2005 के माध्यम से गीडा की शेड योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में  
आवंटित शेड संख्या A-2/7 से० 15 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित  
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/01/2024 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रु०	84672.00
2. ब्याज दिनांक	31/12/2023	तक	रु०	576457.00
3. भूमि प्रीमियम			रु०	239140.00

योग रु०	900269.00
---------	-----------

इसके अतिरिक्त 01/07/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रु०	13430.00
2. ब्याज दिनांक	01/01/2024	से	30/06/2024	तक	रु०	11892.00
3. भूमि प्रीमियम					रु०	0.00

योग रु०	11892.00
---------	----------

egk; kx : 0	912,161.00
-------------	------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/01/2024 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/07/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000344 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर०सी०) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है।

नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

(मयंक मंगल)

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)

गीडा गोरखपुर।